न्यायालय, सब जज–तृतीय, डुमराँव, बक्सर।

टी0एस0 सं0–59.डी/2015

उदय नारायण तिवारी वगैरह– वादी

बनाम

श्याम बिहारी तिवारी वगैरह – प्रतिवादी

18.04.2023.

उभय पक्ष की पैरवी है। प्रस्तुत वाद प्रतिवादी सं0–4 जनार्दन तिवारी की ओर से शपथ पत्र के साथ दाखिल आवेदन दिनांक–20.07.2022 वास्ते एकपक्षीय आदेश रिकाल हेतु एवं प्रतिवादी के उक्त आवेदन के आलोक में वादी की ओर से दाखिल प्रतिउत्तर दिनांक–09.01.2023 पर उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के सुनवाई उपरान्त आदेश हेतु नियत है।

आदेश

वाद पुकार पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। वाद सुनवाई के दौरान प्रतिवादी सं0–4 के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रतिवादी सं0–4 ब्लड प्रेशर एवं सुगर का मरीज है एवं उसके आयु 73 वर्ष है तथा वह अपने पुत्र के पास दिल्ली में रहता है उसे इस मुकदमा की कोई जानकारी नहीं थी । जब वह अपने गांव आए तब उन्हें इस मुकदमा की जानकारी हुई। प्रस्तुत वाद में दिनांक–13.04.2016 को उनके विरूद्ध एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है। विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि यदि प्रतिवादी के एकपक्षीय आदेश को रिकाल नहीं किया जाता है एवं उसे बयान तहरीरी दाखिल करने से वंचित किया जाता है तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। अतः दिनांक–13.04.2016 के आदेश को रिकाल करते हुए प्रतिवादी की ओर से दाखिल बयान तहरीरी को स्वीकृत करने की प्रार्थना करते हैं।

वादी के विद्वान अधिवक्ता का सुनवाई के दौरान कहना है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादीगण का यह आवेदन कानूनन पोषणीय नहीं है बल्कि खारिज योग्य है। प्रतिवादी के विरूद्ध सारी प्रक्रिया करने के बाद न्यायालय के द्वारा दिनांक–13.04.2016 को उनके विरूद्ध

एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है। प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी करीब 6 साल के बाद उपस्थित होते है एवं एकपक्षीय आदेश को रिकाल कराने हेतु आवेदन दिए हैं। यदि उनके आवेदन को स्वीकृत किया जाता है तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी। विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि वादी के आवेदन को भारी खर्चा के साथ खारिज किया जाए।

उभय पक्ष को सुना एवं सम्पूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद प्रतिवादीगण को उपस्थिति हेतु सारी प्रक्रिया करने के उपरांत दिनांक–13.04.2016 को एकापक्षीय आदेश पारित किया गया है। प्रस्तुत वाद में वादी का साक्ष्य समाप्त हो चुका है एवं वाद प्रतिवादी के साक्ष्य हेतु नियत चल रहा है। वाद का सही न्याय निर्णयन हेतु प्रतिवादी संख्या–4 के विरूद्ध पारित एकपक्षीय आदेश को रिकाल करना न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 1000/–रू0 खर्चा के साथ जो वादी को देय होगा प्रतिवादी के आवेदन दिनांक–20.07.2020 को स्वीकृत किया जाता है।

वाद दिनांक–.....2023 वास्ते प्रतिवादी साक्ष्य हेतु।

लेखापित

सब जज–तृतीय